

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)



क्रमांक : प.7(4)वित्त-1(1)आ.व्य./2025

जयपुर, दिनांक 17 मार्च, 2025

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव (समस्त)
राजस्थान सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक)।

महोदय,

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक) को राज्य विधान सभा में दिनांक 11 मार्च, 2025 को उपस्थापित किया जा चुका है।

उक्त प्रतिवेदन, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट <https://cag.gov.in/ag2/rajasthan/hi> पर उपलब्ध है।

भवदीय,

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया प्रतिवेदन से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के उत्तर विधान सभा सचिवालय को निर्धारित समयावधि में प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करावें।
4. संयुक्त सचिव, वित्त(समन्वय) विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर को उनकी आज्ञा संख्या 27/2025 (डी. 27/मं.मं./2025 दिनांक 06.03.2025) के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड बाबत।
7. समस्त अनुभाग, वित्त विभाग।


संयुक्त शासन सचिव